कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679 *E-mail – eepdrani@yahoo.com*

पत्रांक 1934 /36सी. दिनांक रानीखेत 16-09-2021,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा मे थला भ्याड़ी से भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या–9401/2015)

सन्दर्भ :– आन लाईन आपत्ति दिनांक 24.10.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1515/36सी. दिनांक 22.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1515/36सी. दिनांक 22.08.2020 द्वारा कर दिया गया था। प्रतिउत्तर पुनः संलग्नक सहित प्रेषित है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आपत्ति</th><th>निराकरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Regarding point 4 of this office EDS dated 04.08.206 the State Govt Stated that to make the connectivity to existing road for the benefit of adjacent villages this stretch is required. The State Govt may provide name, location (geo-coordinate) and distance from the proposed stretch of those village said to be benefited with this long stretch towards end point of the proposed alignment.</td><td>Name, location (geo-coordinate) and distance from the proposed stretch of benefited village (hamlet) with this long stretch towards end point of the proposed alignment is as below--
<table>
<tr><th>Name of Village</th><th>Coordinates</th><th>Distance from Proosed stretch</th></tr>
<tr><td>Riwali Walli</td><td>29⁰41’56.81”N
79⁰08’52.39”E</td><td>1600 m</td></tr>
<tr><td>Riwali Palli</td><td>29⁰42’05.75”N
79⁰08’31.79”E</td><td>825 m</td></tr>
<tr><td>Mayalgaon</td><td>29⁰42’02.23”N
79⁰08’24.17”E</td><td>1000 m</td></tr>
<tr><td>Guruvwadhunga</td><td>29⁰43’51.84”N
79⁰08’06.36”E</td><td>900 m</td></tr>
<tr><td>Bhitakotkhal</td><td>29⁰44’59.40”N
79⁰06’32.49”E</td><td>680 m</td></tr>
<tr><td>Khairad</td><td>29⁰43’52.10”N
79⁰06’47.49”E</td><td>150 m</td></tr>
<tr><td>Jamraya Tall</td><td>29⁰44’20.73”N
79⁰06’50.00” E</td><td>100 m</td></tr>
<tr><td>Jamraya Malla</td><td>29⁰44’05.82”N
79⁰06’11.71”E</td><td>700 m</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>In the reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 6 justification for locating the project in forest area is still not appears to be appropriate.</td><td>To beneficiate the mention villages constructions of the road is to be done as per given alignment. Certificate for non availability of other land is attached, and it is also mentioned in justification certificate. (copy attached)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 7 though the State Govt uploaded complete FRA with all annexure at para K in online Part I but the clarification regarding mismatch of date in one proceeding of village level committee for Gathiya/Garhkot Talla is still not provided. The State Govt may do the necessary correction.</td><td>Clarification regarding mismatch of date in one proceeding of village level committee for Gathiya/Garhkot Talla is corrected. And corrected copy attached.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 11 though the letter of Executive Engineer uploaded as additional document in serial number 2 in Part I in which it is informed that the administrative approval is validated for 2016-17 also but no comment is provided by the State Govt and neither justified with supportive document.</td><td>Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated Till the completion of work. As GO no. 1542/III(2)/09-22 (CM Ghoshna)/ 2009 dated 31-03-2010 & Authority Letter for Executive Engineer is attached.</td></tr>
</table>

5.	In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 13 regarding correction in tree proposed to be felled is not done. The State Govt may provide/upload revised tree enumeration list authenticated by DFO for 238 trees as information provided in online Part II.	Part II is concerned with DFO office.
6.	The site suitability certificate is still not opened uploaded in online Part II. the State Govt may upload the same as an additional doucmnent.	Part II is concerned with DFO office. Copy of certificate is attached with this letter.
7.	The State Govt may provide hard copy of the proposed including all original documents to this office as directed vide ministry letter date 17.11.2016	Hard Copy submitted vide this office letter no. 1057/36C dated 16.05.2016 (Recipt attached)
8.	The original hard copy of all revised documents may also provide with the reply	The original hard copy of all revised document attached with this letter.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

(18) (20)

वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में थला–भ्याड़ी–भीताकोट मोटर मार्ग नव का निर्माण। (किमी.16से 26)(5.00किमी.)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1542/III(2)/09–22(मा0मु0घो0)/2009 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा 15.00 किमी. लम्बाई हेतु रूपया 525.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा एवं रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को बढ़ावा मिलेगा एवं ग्रामिणों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, इत्यादि को मण्डी तक पहुचानें में सीधा लाभ प्राप्त होगा।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कम से कम वन भूमि को लिया गया है, तथा सर्वेक्षण के दौरान विभागीय मानकों को देखते हुए स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है, परन्तु इस मार्ग के निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया जिसमें न्यूनतम वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित होते हैं।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण में 1.767है0 सिविल बेनाप भूमि, 1.5575है0 वन पंचायत भूमि, कुल 3.325है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	*सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत*	*अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत*

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

1·6

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :-- अल्मोड़ा में चला-क्याड़ि-भतिकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —गोठिया / गड़कोट मल्ला
तहसील—सल्ट—, जिला—अल्मोड़ा—

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद —अल्मोड़ा—के अन्तर्गत —चला-क्याड़ि-भतिकोट—परियोजना के निर्माण हेतु (—x— हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.7675 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 1.5575 हे0) अर्थात कुल 3.325 हे0 वन भूमि का प्रा० ख० लो०नि०वि० —विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —गोठिया— द्वारा दिनांक 12-01-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोठिया / मल्ला गड़कोट — के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि —प्रा० ख० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आनन्दी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गड़कोट मल्ला
(अल्मोड़ा)

ह0 / —
ग्राम सचिव

ह0 / —
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा गड़कोट मल्ला
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6 A

प्रपत्र–23.1

दिनांक 19-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~मैकिया / मल्ला गढ़कोट~~ / मल्ली गढ़कोट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री खुशालसिंह	खुशालसिंह
2-	श्री मैनासिंह S/o चन्दनसिंह	मैन सिंह
3-	श्री भगवानसिंह	
4-	श्री भूरसिंह	भूर सिंह
5	श्री मैनसिंह S/o खीमसिंह	मैन सिंह
6-	श्री स्वरूपसिंह	स्वरूप सिंह
7	श्री प्रतापसिंह	Partap Singh
8-	श्री मानसिंह	मान सिंह
9	श्री गोविन्दसिंह	
10	श्री घनश्यामसिंह	घनश्याम सिंह
11	श्री गंगासिंह	
12	श्री चन्दनसिंह	चन्दन सिंह
13	श्री उमेदसिंह (प्रधान)	[illegible] Singh
14	श्री चमनसिंह	चमन सिंह
15	श्री गोविन्दसिंह S/o अमरसिंह	गोविन्द सिंह
16	श्री गोविन्दसिंह S/o पानसिंह	Govind Singh
17	श्री सुरेन्द्रसिंह	सुरेन्द्र सिंह

मल्ली गढ़कोट

सदस्य [signature]
क्षेत्र पंचायत-14 बरहलिया
[illegible]

आनन्दी देवी
[illegible stamp]

[signature] प्रधान
ह०/–
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–गढ़कोट मल्ला
पो० [illegible] गढ़कोट
वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

1.6 B

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– थला भ्याड़ी-भतिकोट मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सल्ट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सल्ट

उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत थला भ्याड़ी-भतिकोट मोटर मार्ग ———— (————है0 आरक्षित वन भूमि 1.765 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.565 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.325 है0 वन भूमि) का प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग ————प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सल्ट) की दिनांक 14-01-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

सदस्य [illegible]
[illegible]पंचायत-14 बरहुलिया
[illegible]-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

1– श्री [illegible] —उपजिलाधिकारी ———— सल्ट ————अध्यक्ष
2– श्री बी.के. सिंह —उप प्रभागीय वनाधिकारी———— रानीखेत ————सदस्य
3– श्री [illegible] —सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सल्ट —सदस्य/सचिव
4– श्री जगतराम ————बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— स्याल्दे ————सदस्य

सदस्य
[illegible]
[illegible]-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि थला भ्याड़ी भतिकोट मोटर मार्ग ————परियोजना हेतु 3.325 है0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक नि0 विभाग रानीखेत ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत ———द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 C

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ------------------------परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि 3.325 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सल्ट
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सल्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सल्ट
जनपद अल्मोड़ा

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No. 2868 / 1050 (उ0-0 / 121) Dated 24.7.21

Mr. Lalit Kumar Goel, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet (Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.

24/7/21

Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

संख्या– 1542 / III(2) / 09–22(मु0मं0घो0) / 2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

1071
4 सी (हो0)
9/4/10

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित 46 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0: 793 / III(2) / 09–04(मु0मं0घो0) / 2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 तथा शासनादेश सं0: 2488 / III(2) / 08–03(मु0मं0घो0) / 2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 के द्वारा संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु रू0 0.10 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनदेश के क्रमांक–2 पर उल्लिखित शर्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी एवं मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रू0 15308.27 लाख **(रूपये एक सौ तिरेपन करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता (...)
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, ...

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. उक्त योजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 में उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा दिनांक 02 मार्च, 2009 के द्वारा निर्गत कर दी गई है, अतः उक्त कार्य चालू कार्य के अन्तर्गत आयेंगे तथा उन पर व्यय संगत मद में निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही बजट मैनुअल के प्रस्तर–211 का अनुपालन करते हुए किया जाये।

13– शेष सभी शर्ते शासनादेश सं0:– 2488 / III(2) / 08–03(मु0मं0घो0) / 2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश सं0: 793 / III(2) / 09–04(मु0मं0घो0) / 2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 के अनुसार यथावत् रहेंगी और उक्त शासनादेश के द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि को चालू कार्यो से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि में समायोजित करते हुए शेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

14– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 1152 / XXVII/(2)/2010 दिनांक: 30 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:– (1) / III(2) / 09–22(मु0मं0घो0) / 2009 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल देहरादून

पत्रांक - 7106 / 03 बजट (मार्ग/ सेतु - नये कार्य) / 07-10 दिनांक 31.3.10

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूं क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी / अल्मोड़ा

(2) नियोजन वर्ग - I / प्राविधिक वर्ग कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., रानीखेत
मुख्यालय - रामनगर

सहायक अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

8 9

शासनादेश सं0: 1542/ III(2)/09-22(मु0मं0घो0)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत (लाख में)
01	02	03	
01	विधान सभा गंगोत्री में पीपली धनारी से थाती धारकोट मुसड़गांव सम्पर्क मार्ग का सेतु सहित निर्माण	2.00 + 25 मी0 स्पान	333.75
02	जनपद अल्मोड़ा में नागुतले--आसुतले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	20.00	700.00
03	चोरगलिया से टनकपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण (काजवे सहित)	55.00 + 2 सेतु (50 + 30) M	2769.10
04	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत एन0एच0 से कोठिला –खिटोटिया मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	350.00
05	जनपद पौड़ी गढ़वाल में दौला–सिरतौली –ताराकुण्ड मोटर मार्ग निर्माण	6.00	210.00
06	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खदरासी के निकट मन्दाल नदी पर 48 मी0 स्पान के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण पहुंच मार्ग एवं बचाव कार्य सहित	48 M	128.65
07	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा यमकेश्वर के अन्तर्गत नालीखल–बनचुरी–नैल–कपोल काटल तक मोटर मार्ग का विस्तार।	12.00	420.00
08	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत गाजियाबाद से पत्थरकटटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00 + 2 सेतु	262.28
09	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के कस्बा मंगलौर से ग्राम लिब्बरहेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.10	41.35
10	हरिद्वार में रसूलपुर बड़ासे मंगोलपुरा तक सड़क निर्माण		48.66
11	विधानसभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम लिब्बरहेड़ी में अजब सिंह के घर से भरतपुर रोड तक सी0सी0मार्ग का निर्माण	300.00 M	16.35
12	जनपद चमोली में गडोरा–अमरपुर–रैतोली– कम्यार मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	257.25
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल में उफरैंखाल– कलाणखाल– बसोला–देघाट मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबौं में पसीण बैण्ड़ से ज़िठखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00
15	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत एन0एच0 123 नौगांव से मुलाना खेल मैदान तक 1.00 किमी मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	36.75
16	मटेला तलला–रणगेरा–बदाडू– तनकिला–कफलतीर–डुमलोट –डामर–भिडकोट–बथेडा–कमलिया मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	525.00
17	जनपद अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी तक (कोसी नदी के किनारे) बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	525.00
18	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत जयहरी–मैन्दोलिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में	2.10	73.50
19	जनपद अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय से बेतालेश्वर मन्दिर होते हुए विकास भवन को जोड़ने वाले वाहन मार्ग का निर्माण (मोटर मार्ग)	6.00	210.00
20	बालखिला पुल से सिरों कटूड मोटर मार्ग	5.00	183.75
21	जनपद पौड़ी में दगदेवल–गडरी मोटर मार्ग का झलपाणी तक विस्तार	27.00	945.00
22	पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत ग्राम चाई के समीप मधुगंगा नदी पर 50 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण।	50 मी0	94.11
23	जनपद हरिद्वार में बहादराबाद विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर–पथरी मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रीस्ट्रैसकंकीट सेतु) सहित	5.00 + 30 मी0 स्पान	228.14
24	देवधार फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाडी पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 + 36मी0 स्टील गर्डर सेतु सहित	289.00
25	जनपद अल्मोड़ा में तल्ली चम्याड़ी से रणलखाल मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	13.50	472.50
26	जनपद अल्मोड़ा में कमेटपानी से तया मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	5.00	175.00
27	जनपद अल्मोड़ा में हरड़ा भिकियासैण मोटर मार्ग में अवशेष भाग का संशोधित कार्य	15.00	335.40

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मुख्यालय – रामनगर

28	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चाका दोगी भरपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण	17.00	595.00
29	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आगरचट्टी से तल्ली स्यूणी तक मोटर का का नव निर्माण	5.00	183.75
30	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत बी०एम०बी० मोटर मार्ग के किमी० 25 से तल्ली स्यूणी तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	147.00
31	जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कौल्सो बैण्ड से चूला गबनी मोटर मार्ग के विस्तार का कार्य।	3.00	110.25
32	जनपद रूद्रप्रयाग के अगरस्त्यमुनि विकासखण्ड में पाबौ–खेफड–भुटका मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	551.25
33	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के अन्तर्गत चौढाडा पनसुत शुकी मोटर मार्ग शुकी से पोखरी खिट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	380.00
34	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव प्रतापनगर मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से जूनियर हाईस्कूल पिलानीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	35.00
35	देवप्रयाग के अन्तर्गत टकोली से बगड्वालधार मोटर मार्ग का नव निर्माण (12.00 किमी +1 सेतु 24 मीटर स्पान)	12.00 + 1 सेतु	471.12
36	देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखाल एलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	140.00
37	जनपद रूद्रप्रयाग में सुपाणा धारी सेरा भरदार खरगेड मोटर मार्ग के नव निर्माण ।	15.00	551.25
38	जनपद रूद्रप्रयाग के अगरस्त्यमुनि विकासखण्ड में बावई–फलासी–बछनी–भटवाडी–चौण्ड सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	183.75
39	जनपद रूद्रप्रयाग के अगरस्त्यमुनि विकासखण्ड में चोपता से लोदला तकमोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	183.75
40	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली–सेमली के मध्य भिलंगना नदी पर 65.00 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पैदल सेतु का निर्माण।	65.00 M	102.40
41	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग मिसिंग रोड का निर्माण	1.70	59.50
42	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में चमियाला क्षीकोट से छमासणी देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.75	61.25
43	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत नागार्जुनसैंण से गोगना सहजकोट–राजकीय इन्टर कालेज कुनीगाड़ होते हुए भण्डारीखोड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00 +, 2	245.36
44	जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी–भीताकोट तक मोटर मार्ग निर्माण	15.00 किमी	525.00
45	घाट थराली मोटर मार्ग को थरलियाघाट मोटर मार्ग (थराली की ओर से) जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण	22.00 किमी0	808.50
46	अल्मोड़ा में रनमन में कोसी नदीमें गोरेश्वर मंदिर के पास 40 मी0 स्पान स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	40 मी0	63.60
	योग:–		15308.27

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत
मुख्यालय – रामनगर

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

2·10

31

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोडा में थला–भ्याडी–भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लंबाई – 15.000 किमी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये ओखलिया सिविल प्रस्तावित क्षेत्र प्रबन्धकीय व नवीकरण दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

(प्रेमपाल सिंह)	(सुनित कुमार सिंह)	(अशोक कुमार)	(के0 एस0 असवाल)
अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित

राजि वनाधिकारी

वन दरोगा

प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679
E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1057 /36सी.

दिनांक रानीखेत मई 16 ,2016

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरा कालोनी, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून

विषय :– **विभिन्न मोटर मार्गों की हार्ड कापी प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों के वन भूमि हरतान्तरण की हार्ड कापी तीन–तीन प्रतियों में भेजी जा रही है।

1. पीपनाकोला–रणकुना–गोहाली मोटर मार्ग।
2. थला–भ्याड़ी–भीताकोट मोटर मार्ग।
3. चौबटिया–नागपानी–देहोली मोटर मार्ग।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव में अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में।**

भवदीय,

16/5/16

(कुन्दन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1057 / 36 सी तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/16

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्राप्त
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून